अ० भा० माहेश्वरी युवा संगठन

(पटना बैठक दिनांक १२ मई ९१ को स्वीकृत)

प्रादेशिक युवा संगठनों हेतु माडल विधान

१. नाम- इस संस्था का नाम ....प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन होगा और यह अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन की एक प्रादेशिक इकाई के रूप में उसके अन्तर्गत ही कार्य करेगा।

२. कार्यक्षेत्र-इस संगठन का कार्यक्षेत्र अर्थात अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन के विधान की धारा-१५ के अन्तर्गत उल्लेखित प्रदेश (जिला समूह) इसका कार्यक्षेत्र होगा। यदि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन उस कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करेगा तो प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन कार्यक्षेत्र वह परिवर्तित कार्यक्षेत्र रहेगा।

३. उद्देश्य- इस संगठन का उद्देश्य (१८ वर्ष से ४० वर्ष) के माहेश्वरी युवा वर्ग को संगठित कर उनको समाजोत्थान कार्य के लिए प्रेरित करना तथा समाज एवं राष्ट्र को रचनात्मक कार्य से आगे बढ़ाना एवं मानव कल्याण कार्य में भाग लेना। माहेश्वरी समाज की समयानुकूल सर्वांगीण उन्नित करना जिससे माहेश्वरी समाज राष्ट्र का एक प्रगतिशील घटक बना रहे।

४. उद्देश्य पूर्ति के साधन-

(अ) माहेश्वरी युवाओं में माहेश्वरी समाज एवं राष्ट्र के प्रति जिज्ञासा, आस्था एवं आदर उत्पन्न करने की भावना पैदा करना।

(ब) युवा वर्ग में अध्यात्मिक, धार्मिक, समाजिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना व इस हेतु संस्थाऐं स्थापित करना, स्थापित संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना, पत्र-पत्रिकाएँ, स्मारिकाऐं एवं प्रचार साहित्य प्रकाशित एवं वितरित करना, गोष्ठीयाँ, अधिवेशन, खेलकूद प्रतियोगिताऐं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना।

(स) युवा वर्ग को रोजगार, व्यवसाय स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना, इस हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रदर्शन एवं सेमिनार आदि का आयोजन करना।

(द) समाज के असहाय, अपंग अस्वस्थ्य, निराश्रितों एवं जरूरतमन्द बच्चों, स्त्रियों एवं युवाओं को सहायता/सहयोग करना।

(य) महासभा, केन्द्रिय संगठन,सभा एवं संगठन के उद्देश्यों, सिद्धान्तों को अग्रसर करने लिए सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अधिवेशन, वाद-विवाद, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, चलचित्र, नाटक आदि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके युवा वर्ग को सहभागी बनाना एवं सहयोग करना।

(र) समाज विरोधी एवं संगठन के नियम भंग करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को समझाना, एवं सुधारने का यथासंभव प्रयत्न करना।

(ल) राष्ट्रीय, समाजिक एवं जनहित के अन्य कार्यों में भाग लेना व सहयोग करना।

(व) निर्धारित कार्यक्रम व अन्य योजनाओं के लिए धन संग्रह करना तथा उसका विनियोग करना, चल अथवा अचल सम्पत्ति प्राप्त अथवा धारण करना, इन कार्यों के लिए आवश्यक सभा अथवा न्यास आदि स्थापित करना अथवा सम्पत्ति सम्बन्धित क्रय- विक्रय, ऋण बंधक, लीज आदि के अधिकार ग्रहण करना।

५. बहिष्कार विषयक निति- संगठन में प्रस्तुत होने वाले किसी प्रस्ताव में समाजिक बहिष्कार की निति को स्थान नहीं दिया जायेगा, विशेष परिस्थिति में कार्यकारी मण्डल की बैठक में उपस्थिति के ६०% से ही ''असहयोग एवं उपेक्षा'' की घोषणा की जा सकेगी।

६. परिभाषाएँ- इस विधान में दिये गये शब्दों को तात्पर्य नीचे लिखी परिभाषा के अनुसार माना जायेगा-

(क) ''महासभा'' शब्द से तात्पर्य अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा से है।

(ख) ''केन्द्रिय संगठन' का तात्पर्य अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन से है।

(ग) संगठन शब्द से तात्पर्य प्रादेशिक XXXXXXXXX माहेश्वरी युवा संगठन है।

(घ) '' सभा'' शब्द से तात्पर्य प्रादेशिक XXXXXXXXX माहेश्वरी सभा से है।

(ड़) ''माहेश्वरी'' शब्द से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो अपने को जन्म व कर्म से माहेश्वरी मानतें हैं और जिनमें परम्परागत माहेश्वरी जाति की खापे हैं।

(च) ''मण्डल'' शब्द से तात्पर्य प्रादेशिक XXXXXXXXX माहेश्वरी युवा संगठन कार्यसमिति से है।

(छ) स्थानीय संगठन शब्द से तात्पर्य नगर/गाँव के युवा संगठनों से है

(ज) ''कार्यसमिति'' शब्द से तात्पर्य प्रादेशिक XXXXXXXXX माहेश्वरी युवा संगठन कार्यसमिति से है।

७. प्रधान कार्यालय- जब तक संगठन का स्थायी कार्यालय निश्चित नहीं होता तब तक महामंत्री द्वारा प्रदत्त स्थान ही संगठन का प्रधान कार्यालय होगा।

८. संगठन का गठन- संगठन का संगठनात्मक स्वरूप निम्न प्रकार होगा-

(क) संगठन का प्रादेशिक मण्डल

(ख) संगठन की कार्यसमिति,

(ग) जिला संगठन व अन्य संगठन

(घ) माहेश्वरी युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी नाम से सम्बोधित संस्था जैसे माहेश्वरी नवयुवक मण्डल/परिषद/क्लब/सभा/मंच/संगठन आदि। जो कि १८ वर्ष से ४० वर्ष की आयु वर्ग की सदस्यता प्रदान करते हों।

(ड़) संगठन द्वारा स्थापित न्यास, लिमिटेड कम्पनी, सहकारी प्रतिष्ठान, समिति, उपसमिति आदि।

९. सदस्यता-

(क) सामान्य सदस्य- माहेश्वरी समाज के युवक/युवती जिनकी आयु १८ वर्ष से कम न हो व ४० वर्ष से अधिक न हो, संगठन के सामान्य सदस्य माने जायेंगे। ४० वर्ष से उपर हो जाने पर सदस्यता स्वयं ही समाप्त समझी जायेगी मगर पदेन सदस्य पर आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(ख) सहयोगी सदस्य- संगठन को वर्ग ''क'' के अनुसार ५०/रू० प्रतिसत्र देने वाले स्वजन सहयोगी सदस्य मानें जायेंगे।

(ग) कार्यसमिति सदस्यता शुल्क प्रति सत्र रू० १००/- तथा कार्यकारी मण्डल सदस्यता शुल्क ५०/-रू० प्रति सत्र होगा। जो देना अनिवार्य होगा।

१०. सदस्यता का नियम- मताधिकार के अलावा सभी सदस्यों के अधिकार समान होंगे संगठन के प्रादेशिक मण्डल को यह अधिकार प्राप्त होगा कि पर्याप्त कारण के आधार पर किसी व्यक्ति की सदस्यता अस्वीकार कर दे। सदस्यता अस्वीकार करने का कारण संगठन को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा।

११. स्थानीय मण्डल- प्रत्येक स्थानीय संगठन का कर्तव्य होगा कि वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट वर्ष समाप्ति के ३ माह के भीतर संगठन कार्यालय को प्रेषित कर दें।

१२. सम्बद्ध संस्थाएँ-

(क) जिस ग्राम, नगर या समीपवर्ती गाँव में माहेश्वरी परिवार निवास करते हों वहाँ नियमावली की धारा-८ (घ) के अनुसार स्थानीय युवा संगठन स्थापित हो सकेंगे।

(ख) स्थानीय सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकतानुसार जिला, तहसील अथवा क्षेत्रीय संगठनों का गठन किया जा सकेगा और वह उसकी एक इकाई व शाखा मानी जायेगी।

(ग) जहां जिला संगठन/क्षेत्रीय संगठन स्थापित न हो वहाँ उसकी स्थापना हेतु संगठन अध्यक्ष/महामंत्री संयोजक नियुक्त कर सकेंगे और वे संयोजक अपनी तदर्थ समिति गठित कर वहाँ जिला संगठन गठित कर सकेंगे। मगर अपने क्षेत्र में एक ही जिला संगठन/क्षेत्रीय संगठन होगा।

(घ) किसी भी स्थानीय संगठन/तहसील संगठन/जिला संगठन/आंचलिक संगठन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किये जाने पर कोई संतोषप्रद कार्य न करने/नियमित बैठकें न करने पर कार्यसमिति को अधिकार होगा कि व उस संगठन/संस्था की मान्यता रद्द कर दें/भंग कर दें एवं पुन: विधिवत गठन हेतु संयोजक नियुक्त कर सकती है।

(ड़) धारा-८ (ग)(घ) किसी भी स्थानीय संगठन/तहसील संगठन/जिला संगठन/ आंचलिक संगठन द्वारा संगठन का निर्धारित सम्बद्धता फार्म भरने पर संगठन की सम्बद्धता प्राप्त हो सकेगी। किसी एक स्थान पर १०० से अधिक माहेश्वरी परिवार होने पर संगठन की सहमति से स्थानीय संगठन १ से अधिक हो सकेंगे।

(च) केन्द्रिय संगठन/संगठन अपने जिला संगठनों/तहसील संगठनों व क्षेत्रीय संगठनों व अन्य संगठनात्मक अवयवों के लिए आवश्यकतानुसार विधान का प्रारूप बना सकेगा।

(छ) अनुशासन के मामले में केन्द्रिय संगठन ही सर्वोपरि होगा।

१३. प्रादेशिक मण्डल-

(क) संगठन के कार्य संचालन के लिए एक प्रादेशिक मण्डल होगा जिसके न्यूनतम.............. सदस्य होंगे। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन के कार्यकारी मण्डल एवं कार्यसमिति के सदस्य प्रादेशिक मण्डल के पदेन सदस्य होंगे, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित जिलों से निम्नलिखित निर्धारित संख्या में सदस्य चुने जायेंगे। बाकी सदस्य प्रादेशिक मण्डल नामांकित करेगा।

जिला	सदस्य संख्या	जिला	सदस्य संख्या
....	....	....	....

धारा-१३(क) के अनुसार निर्देशित कार्यकारी मण्डल के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित महानुभाव प्रादेशिक मण्डल के सदस्य होंगे-

१. संगठन के सभी पदाधिकारी

२. संगठन के सभी भूतपूर्व अध्यक्ष, महामंत्री एवं निवर्तमान सत्र के सभी पदाधिकारी।

३. सभी जिला युवा संगठनों/क्षेत्रीय संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्री अथवा तदर्थ समिति के संयोजक।

४. संगठन के अध्यक्ष जी द्वारा मनोनीत दस प्रतिशत कार्यकारी मण्डल सदस्य।

५. कार्यकारी मण्डल सदस्य को स्थानीय सम्बद्ध संगठन का सदस्य होना अनिवार्य होगा। वे अपनी तहसील तथा जिला सभाओं की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

६. संगठन केन्द्रिय संगठन सभा तथा महासभा के उद्देश्यों को अग्रसर करने एवं उसमें पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व प्रादेशिक मण्डल का होगा। प्रादेशिक मण्डल को इन कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न योजनाओं को निर्धारित करने, नियम, उपनियम बनाने एवं आवश्युकतानुसार संगठन अथवा समितियाँ, उपसमितियाँ स्थापित करने का अधिकार होगा।

७. संगठन के किसी भी पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर कार्यसमिति को अधिकार होगा कि अपनें सदस्यों में से रिक्त पद की पूर्ति कर लें।

८. प्रादेशिक मण्डल के जो सदस्य बिना सूचना दिये लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे, इनके स्थान कार्यसमिति द्वारा रिक्त घोषित किये जा सकेंगे।

९. निधन, अनुपस्थिति, त्याग पत्र अथवा अन्य कारण से प्रादेशिक मण्डल के जो रिक्त स्थान होंगे उनके स्थान पर कार्यसमिति नये सदस्य मनोनीत कर सकेगी। प्रादेशिक मण्डल की बैठकें अध्यक्ष की सहमति से महामंत्री द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाई जायेंगी। एक वर्ष में दो बैठके अवश्य होंगी। बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों का ३०% होगा जिसमें पदाधिकारी भी शामिल हैं। बैठक की सूचना दो सप्ताह पूर्व डाक द्वारा प्रमाण-पत्र लेकर प्रसारित की जायेगी जिसमें विचारार्थ विषयों की सूची अंकित होगी परन्तु अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रश्नों पर भी विचार हो सकेगा। संगठन का आय-व्यय पत्रक वर्ष में एक बार प्रादेशिक मण्डल में पेश किया जायेगा। यदि मण्डल के कम से कम ३०% प्रतिशत सदस्य किसी विशेष कार्य के लिए मण्डल की बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष को लिखित आवेदन देंगे तो अध्यक्ष की सूचना मिलने के ३० दिन के अन्दर-अन्दर आवेदन में उल्लेखित विषय पर विचार करने के लिए मण्डल की बैठकें बुलायेंगे यदि अध्यक्ष ने बैठक न बुलाई तो आवेदनकर्ता सदस्यों को अधिकार होगा कि आवेदन की तिथि के दो मास के भीतर ३० दिन की सूचना के स्वयं प्रादेशिक मण्डल की बैठक आयेजित कर लें। इस बैठक में केवल उल्लेखित विषय पर ही विचार एवं निर्णय किया जा सकेगा।

१४. प्रादेशिक मण्डल के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया-

(क) अध्यक्ष के चुनाव के ३० दिन में जिला संगठनों को प्रादेशिक मण्डल के लिए निर्धारित संख्या में, सदस्य चुनकर भेजने के लिए सूचना पत्र भेज दिया जायेगा।

(ख) जिला संगठन अपने नियमों, उपनियमों (यदि हो तो) के अनुसार प्रादेशिक मण्डल के सूचना-पत्र की तिथि के ६० दिन में अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न कर निर्धारित सदस्यों के नाम प्रादेशिक मण्डल को प्रेषित कर देंगे।

(ग) जिला क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्यों के नाम प्राप्त हो जाने के बाद में अध्यक्ष १० प्रतिशत सदस्य मनोनीत कर आवश्यकतानुसार (प्रादेशिक मण्डल) कार्यालय को सूचित कर देंगे।

(घ) प्रादेशिक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से १५ दिन की अवधि में नवनिर्वाचित व मनोनीत सदस्यों की सभा बुलाई जायेगी जिसकी सूचना सभा की तिथि से कम से कम १५ दिन पूर्व जारी करना आवयश्क होगा। सभा में जिन जिला संगठनों से निर्धारित अवधि में सदस्यों के नाम प्राप्त नहीं हुए हैं तथा जिन-जिन जिला क्षेत्रों में संगठन स्थापित नहीं किये जा सके हैं उन क्षेत्रों से निर्धारित संख्या में सदस्य मनोनीत किये जायेंगे।

(ड़) इस प्रकार निर्वाचित व मनोनयन के लिए सभा में उपस्थित सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे, प्रस्तावित व्यक्तियों की लिखित में सहमति आवश्यक होगी। किन्हीं परिस्थितयों में कहीं पर जिला संगठन नहीं है तो उस जिले के मुख्य स्थानीय युवा संगठनों को प्रतिनिधि भेजने हेतु लिख दिया जायेगा। इसके अलावा

यदि उक्त निर्वाचित एवं मनोनयन पूर्ण नहीं हो सका तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वे संबधित क्षेत्रों से सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे।

(च) मण्डल के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति सदस्यों का कार्यकाल साधारणतया तीन वर्ष का होगा। कोई भी पदाधिकारी लगातार दो सत्र से ज्यादा एक पद पर नहीं रह सकेगा।

(छ) सत्र के मध्य में अध्यक्ष का पद रिक्त होनें पर कार्यसमिति ही अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(ज) चुनाव संबंधी नियम बनाने चुनाव समिति गठित करने का अधिकार कार्यसमिति को होगा एवं आवश्यकतानुसार केन्द्रिय संगठन अथवा सभा का एक प्रतिनिधि निर्वाचन हेतु प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।

(झ) केन्द्रिय संगठन के कार्यकारी मण्डल व कार्यसमिति के चुनाव केन्द्रिय संगठन के अपनें विधान के अनुसार होंगे व उनका कार्यकाल केन्द्रिय संगठन के कार्यकाल के अनुरूप होगा इसके अलावा XXXXXXXXX केन्द्रिय संगठन के अध्यक्ष व महामंत्री पद को जिन सज्जनों ने सुशोभित किया है वे संगठन के कार्यकारी मण्डल के सदस्य माने जायेंगे।

(य) पदेन सदस्य किसी भी प्रकार के चुनाव में खड़े हो सकेंगे, वोट डाल सकेंगे मगर जो ४० वर्ष से ज्यादा उम्र के हो गये हैं उनको यह अधिकार नहीं होगा।

(र) जिन सदस्यों ने अपना शुल्क धारा-९ के तहत जमा नहीं कराया है। उन्हें किसी प्रकार का वोट देने या चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

१५. कार्यकारिणी समिति-

१. संगठन के कार्य को सुगमता से चलाने तथा उपस्थित प्रश्नों एवं समस्याओं का निर्णय शीघ्र करने के लिए। प्रादेशिक मण्डल के सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। संगठन के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों को मिलाकर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या २१ से ज्यादा नहीं होगी।

२. कार्यकारिणी समिति में निम्न पदाधिकारी होंगेः-

१. अध्यक्ष	-	१
२. उपाध्यक्ष	-	२
३. सचिव	-	१
४. सह सचिव	-	२
५. कोषाध्यक्ष	-	१
६. सदस्य	-	१४

३. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन निम्न प्रकार होगा।।

अध्यक्ष- अध्यक्ष का चुनाव प्रादेशिक मण्डल द्वारा मण्डल के कार्यकाल की समाप्ति के दो माह पूर्व इस उद्देश्य के लिए आयोजित मण्डल की सभा में किया जायेगा। उक्त सभा की सूचना सभा की तिथि से १५ दिन पूर्व जरिए डाक द्वारा प्रमाण पत्र लेकर जारी करना आवश्यक होगा।

उपाध्यक्ष- उपाध्यक्षों को चुनाव नवगठित प्रादेशिक मण्डल द्वारा किया जायेगा।

सचिव- सचिव का चुनाव नवगठित प्रादेशिक मण्डल द्वारा किया जायेगा।

कोषाध्यक्ष- कोषाध्यक्ष का चुनाव नवगठित प्रादेशिक मण्डल द्वारा किया जायेगा।

सह सचिव- सह सचिव का चुनाव नवगठित प्रादेशिक मण्डल द्वारा किया जायेगा।

सदस्य- समिति के २ सदस्य अध्यक्ष जी द्वारा मनोनीत किये जायेंगे व शेष १२ सदस्यों का निर्वाचन जिले के प्रतिनिधित्वको ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक मण्डल द्वारा किया जायेगा।।

४. नवगठित प्रादेशिक मण्डल के गठन के ३० दिन के अन्दर में मण्डल की सभा बुलाई जायेगी। जिसकी सूचना सभा की तिथि से कम से कम १५ दिन पूर्व जारी करना आवश्यक होगा। उक्त सभा में कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एरां सदस्यों को चुनाव किया जायेगा। सभा में उपस्थित सदस्यगण चुनाव के लिए नाम प्रस्तावित कर सकेंगे।

प्रस्तावित व्यक्ति यदि सभा में अनुपस्थित हो तो उनकी लिखित में सहमति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

५. कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल प्रादेशिक मण्डल के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जायेगा।

६. प्रादेशिक मण्डल के सामान्यत: सभी अधिकार कार्यकारिणी समिति को प्राप्त होंगे किन्तु प्रादेशिक मण्डल द्वारा समिति के निर्णय की पुष्टि आवश्यक होगी।

७. कार्यसमिति की सभा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से सचिव आयोजित करेंगे। विशेष परिस्थिति में केन्द्रिय संगठन द्वारा मनोनीत व्यक्ति द्वारा भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

८. कार्यसमिति की सभा के लिए कोरम ७ सदस्यों का होगा जिसमें पदाधिकारियों के अलावा २ सदस्य और होना आवश्यक होगा।

९. कार्यसमिति की बैठक ३ बार बुलाना अनिवार्य है।

१०. पदाधिकारियों के निर्वाचन से जो कार्यसमिति या कार्यकारी मण्डल के स्थान रिक्त होंगे उसकी पूर्ति सम्बन्धित जिला संगठन /तदर्थ समिति/स्थानीय संगठन की कार्यसमिति करेगी।

१६. संगठन का अधिवेशन- संगठन का अधिवेशन साधारणत: तीन वर्ष में एक बार होगा। साधारण अधिवेशन में सभा को अब तक की प्रगतियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अलावा सम्बन्धित प्रदेश के समस्त युवा युवतियों का वृहद अधिवेशन ६ वर्ष में एक बार बुलाने का प्रयास करना चाहिए।

१७. अधिवेशन में प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव-

(अ) वृह्द अधिवेयशन जो कि साधारणत: ३ वर्ष में एक बार होगा। उसमें प्रस्तावित किये जाने वाले प्रस्ताव एक माह पूर्व संगठन के कार्यालय के पास पहुँच जाने चाहिए ताकि उन्हें व्यवस्थित रूप दिया जा सके । कार्यसमिति प्राप्त प्रस्तावों को दृष्टि में रखते हुए तथा समाज की ज्वलंत समस्याओं पर विचार करके अधिवेशन में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य प्रस्ताव पर भी अधिवेशन में विचार हो सकेगा।

(ब) अधिवेशन में आदेशात्मक प्रस्तावों का पालन करना पदाधिकारियों, मण्डल एवं कार्यसमिति के सदस्यों का नैतिक उत्तरदायित्व होगा।

१८. मतगणना-

(अ) संगठन कार्यसमिति में प्रत्येक प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत होंगे।

(ब) प्रत्येक प्रतिनिधि सदस्य को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। मतदान हाथ उपर उठाकार/गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा। परन्तु ४० प्रतिशत प्रतिनिधि सदस्यों के लिखित आवेदन पर बैलेट या डिवीजन की माँग की जा सकेगी।

(स) जो सदस्य अपना शुल्क धारा-९ के तहत नहीं देंगे उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

१९. पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व व अधिकार-

१. अध्यक्ष- संगठन के प्रादेशिक मण्डल अधिवेशन वृहद अधिवेशन मण्डल कार्यसमिति, समिति, उपसमिति की बैठकों की अध्यक्षता करना। संगठन के समस्त कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे । सभी पदाधिकारी कार्यसमिति सदस्य एवं संगठन सदस्यों के लिए अध्यक्ष जी नियमानुसार कार्य वितरण कर सकेंगे। जिला संगठनों से पत्र व्यवहार व उन्हें समय-समय पर दिशा निर्देश देते रहना।

२. उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य करना, अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करना, अध्यक्ष द्वारा निर्देशित कार्य करना। अपने क्षेत्र में सम्बन्धित सभी सदस्यों से सम्पर्क रखना व उनके जिम्मे आये कार्यों को निष्पादित कराना। अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

३. सचिव- संगठन कार्यालय के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व संगठन के सचिव पर होगा। सचिव प्रत्येक अधिवेशन बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में लिखेंगे उनके निश्चयानुसार संगठन का कार्य करेंगे। स्वीकृत बजट के अनुसार खर्चे करेंगे। संगठन सम्बन्धी कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे, संगठन की ओर से पत्र-व्यवहार तथा अन्य आवश्यक कार्य करेंगे, विधानानुसार अध्यक्ष जी की स्वीकृति से प्रादेशिक मण्डल अधिवेशन, वृहद अधिवेशन मण्डल, कार्यसमिति की बैठकों हेतु विषय सूची जारी करेंगे।

४. कोषाध्यक्ष- संगठन मण्डल द्वारा स्वीकृति बजट के अनुसार अर्थ संग्रह की योजना करेंगे, विभिन्न विभागों का हिसाब तैयार करवायेंगे और उसे ऑडिटर से ऑडिट कराकर कार्यसमिति एवं कार्यकारी मण्डल के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे।

५. सहसचिव- संगठन को सुदृढ़ करने एवं सचिव को उत्तरदायित्व के निर्वाहन में सक्रिय सहयोग देंगे, अध्यक्ष द्वारा कार्य विभाजन द्वारा सौंपे हुए कार्य को सम्पन्न करेंगे। अपने क्षेत्र के कार्य को पूरा करवाने की जिम्मेदारी का वहन करेंगे। सचिव जी की अनुपस्थिति में बैठक की कार्यवाही संचालित करेंगे।

२०. संगठन का कोष- संगठन को कोष किसी भी स्थानीय शेड्यूल एवं सहकारिता बैंक में रखा जायेगा। बैंक में संगठन के नाम से खाता खोला जायेगा। जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर होने पर बैंक के खाते का संचालन होगा। स्थान विशेष के बैंक खातें की जिम्मेदारी वहाँ निवास करने वाले पदाधिकारी की होगी। संगठन के हिसाब के परिक्षण के लिए कार्यसमिति ऑडीटर की नियुक्ति करेगी। स्थायी कोष के लिए प्राप्त धन स्थायी निधि के तौर पर कार्यकारी मण्डल के निश्चयानुसार जमा किया जायेगा और उसकी ब्याज की आय भी खर्च की जा सकेगी। कार्यकारी मण्डल की अनुमति से ही विशेष परिस्थिति में स्थायी कोष में जमा की जा सकेगी। मण्डल की बैठक में वार्षिक अनुमानित आय-व्यय पत्रक एवं पूर्व वर्ष का ऑडिट किया हुआ हिसाब ६ महीने में प्रस्तुत किया जायेगा। संगठन के कोई भी पदाधिकारी ५००/रू० (कोषाध्यक्ष को छोड़कर) से अधिक राशि कार्यसमिति की/पूर्व स्वीकृति के बिना अपने पास नकद न रख सकेंगे।

२१. विधान संशोधन- विधान में संशोधन का अधिकार कार्यकारी मण्डल को होगा। बैठक में कार्यकारी मण्डल के ३० प्रतिशत सदस्यों की उपस्थित आवश्यक होगी। उपस्थित सदस्यों के ६० प्रतिशत से ही संशोधन स्वीकृति होने के उपरान्त केन्द्रिय संगठन की कार्यसमिति को प्रेषित किये जायेंगे, वहाँ से जो भी जवाब आयेगा उस अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे।

२२. स्थगित बैठक- कार्यकारी मण्डल, कार्यसमिति आदि की निर्धारित बैठक में निश्चित समय पर यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो वह सभा स्थगित कर दी जायेंगी । उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति पर स्थगित बैठक एक घण्टे बाद उसी दिन पुन: होगी किन्तु उसमें महत्तवपूर्ण विषय पर विचार न हो सकेगा।

२३. आर्थिक वर्ष- संगठन का आर्थिक वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक माना जायेगा।

२४. पारिश्रमिक- संगठन के कार्य के लिए विशेष सेवायें प्राप्त होने पर प्रधान कार्यालय से पूर्व अनुमति लिए जाने पर किसी कार्यकर्ता को पारिश्रमिक दिया जा सकेगा। संगठन के कार्य से जो पदाधिकारी या कार्यकारी मण्डल द्वारा गठित समितियों के सदस्य भ्रमण करेंगे उन्हें वास्तविक मार्ग व्यय दिया जायेगा।

२५. अनुशासनात्म्क कार्यवाही- संगठन के किसी उद्देश्य, प्रस्ताव अथवा नियम का उल्लंघन एवं अवहेलना करने की व्यवस्था में कार्य समिति द्वारा किसी कार्यसमिति , कार्यकारी मण्डल एवं अन्य सदस्य की सदस्यता स्थगित अथवा निलम्बित करने पर विचार किया जायेगा। व कार्यसमिति बैठक में पास होने पर केन्द्रीय संगठन को प्रेषित किया जायेगा। इस प्रकार की कार्यवाही से पूर्व उस सदस्य का स्पष्टीकरण माँगा जायेगा। संबंधित सदस्य चाहे तो वह कार्यसमिति के निर्णय के विषय में केन्द्रीय संगठन कार्यवाही मण्डल को अपील कर सकेगा।

२६. मध्यस्थ की नियुक्ति- प्रादेशिक मण्डल अपने अन्तर्गत किसी भी जिला संगठन, तहसील संगठन, स्थानीय संगठन के साथ वाद-विवाद उपस्थित होने अथवा कार्य संबंधी किसी प्रश्न के निर्णय के लिए आवश्यक समझें तो निर्णय के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकेगा। संगठन से संबंधित किसी भी संस्था या सदस्य के लिए किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से पूर्व इस नियम का पालन अनिवार्य होगा।

२७. कानूनी कार्यवाही- संगठन के कोष, सम्पत्ति अथवा हिसाब किताब के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही सचिव के नाम से की जायेगी और इस सम्बन्ध में उन्हें योग्य अधिकार प्राप्त होंगे।

२८. विसर्जन- संगठन को विसर्जन करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ हो तो उस पर विचार करने के लिए कार्यवाही मण्डल की विशेष बैठक केन्द्रिय संगठन की अनुमति से बुलाई जायेगी। यदि उपस्थित सदस्यों के ७५% प्रतिशत बहुमत द्वारा विसर्जन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो उसे क्रियान्वित किया जायेगा। विसर्जन की दशा में संगठन की समस्त सम्पत्ति केन्द्रिय संगठन को सौंप दी जायेगी जो फिर से नये संगठन बनने पर उसे सौंप देगा। यदि संगठन द्वारा नियम विरूद्ध करने पर , कोई संतोषप्रद कार्य न करने, नियमित बैठकें न करने व अन्य किसी कारणों से केन्द्रीय संगठन महासभा के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर केन्द्रिय संगठन की कार्यसमिति संगठन को भंग कर देगी एवं पुन: विधिवत गठन हेतु संयोजक नियुक्त कर सकती है।

नोट:

(१) इस विधान में प्रयुक्त XXXXXXXXX के स्थान पर अपने राज्य का नाम लिखें एवं ---------के निशान पर कार्यवाही मण्डल की सदस्य संख्या माहेश्वरी बाहुल्यता के अनुसार लिखें। यह संस्था केन्द्रिय संगठन के अध्यक्ष/सचिव से स्वीकृति लेकर लिखें। किन्हीं जिला संगठनों के नाम दो-चार जिलों के एक साथ आ सकते हैं मगर सभी जिलों के नाम आने चाहिए।

(२) यह विधान अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन की दिनांक १२-०५-१९९१ को पटना बैठक में स्वीकृति किया गया है।